

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, झाँसी

पत्रांक 2269/10/प० पु० ज० अ०/19

दिनांक 13.11-19

सेवा में,

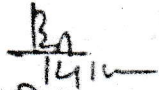
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम,
ग्वालियर रोड, झाँसी।

विषय - राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरसराय-गरौठा पेयजल पुर्नगठन योजना की पाईप लाईन विछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका पत्रांक- 1018/कार्य36/35, दिनांक- 29.07.2019

महोदय,

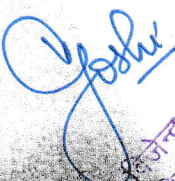
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा एरच-गुरसराय मऊरानीपुर मार्ग (एम०डी०आर०-31) के किमी० 16 (खडैनी) से किमी० 20 तक रोड के किनारे-किनारे 400 मिमी० व्यास का डी०आई० पाईप 4000 मी० विछाने की अनुमति मांगी गयी है। उक्त मार्ग में भविष्य में फोर-लेनिंग हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है। अतः सड़क के लेपित सतह के किनारे से 12 मी० दूरी छोड़कर पाईप लाईन विछाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कार्य करते समय मार्ग को किसी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए। यदि मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो मार्ग के मरम्मत का उत्तरदायित्व आपका होगा एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि आपसे वसूल की जायेगी।

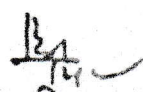

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, झाँसी

पत्रांक 2269/10/प० पु० ज० अ०/19
प्रतिलिपि :-

दिनांक 13.11-19

1. सहायक अभियन्ता (द्वितीय), निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, झाँसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री नरेश कुमार त्यागी, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, झाँसी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।


विजेन्द्र जोशी
उपनिर्माण इंजीनियर
निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम
झाँसी
16 MAR 2020


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, झाँसी